



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म0प्र0)

ईमेल:- deanrattlam@gmail.com

वेबसाईट :- www.gmcrtlam.org

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284226

पिनकोड :- 457001

DONATE ORGAN - SAVE LIFE

अंगदान करें - जीवन बचाएँ

क्रमांक : 7611 / स्था. / जी.एम.सी. / 2021

रतलाम, दिनांक :- 16/8/2021

// सह चिकित्सकीय संवर्ग विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 803/स्था./अराज/2018 भोपाल दिनांक 20.09.2018 द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम में मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम में अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र. एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र दिनांक 17/09/21 सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं :-

1. पदों का विवरण :-

सीधी भर्ती :- सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	बिना वर्ग					भूतपूर्व सैनिक					दिव्यांग				
			UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS
1	स्पीचथेरापिस्ट	02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	फिजियोथेरापिस्ट	02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/ रेडियोग्राफर	05	1 1F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	डेंटल टेक्नीशियन	04	1F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	डार्क रूम असिस्टेंट	03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	टी.वी. एण्ड चेस्ट डिस्सीज हेल्थ विजिटर	02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	लैब अटेन्डेंट	23	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
8	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टेक्नीशियन	02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	आक्यूपेशनल थेरापिस्ट	02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	टेक्नीकल असिस्टेंट	05	1 1F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	टेक्नीशियन असिस्टेंट	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	लैब टेक्नीशियन	14	-	-	1 1F	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	क्लीनिकल सायकोलोजिस्ट	01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

सीधी भर्ती :- सह चिकित्सकीय संवर्ग के संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षित रिक्त पदों की जानकारी (आवेदक शासकीय संस्था में न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो)

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	बिना वर्ग					भूतपूर्व सैनिक					दिव्यांग				
			UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS
7	लैब अटेन्डेंट	06	1F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	लैब टेक्नीशियन	03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	ओ.टी. टेक्नीशियन	02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


DEAN

Government Medical College
Rattlam (M.P.)

2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

स.क्र.	पद का नाम	वेतनमान	न्यूनतम आयु सीमा	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं
1	स्पीचथेरापिस्ट	5200-20200+2800	18 वर्ष	1. बायोलाॅजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्पीच थेरापिस्ट टेक्नीशियन की स्नातकोत्तर/स्नातक/प्रमाण पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
2	फिजियोथेरापिस्ट	9300-34800+4200	18 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
3	रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर	5200-20200+2800	18 वर्ष	1. बायोलाॅजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
4	डेंटल टेक्नीशियन	5200-20200+2800	18 वर्ष	1. बायोलाॅजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा। 3. चयन उपरांत मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।
5	डार्क रूम असिस्टेंट	5200-20200+1900	18 वर्ष	1. बायोलाॅजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्था से एक्स-रे टेक्नीशियन में 01 वर्ष पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।
6	टी.वी. एण्ड चैस्ट डिसेज हेल्थ विजीटर	5200-20200+2400	18 वर्ष	भारत सरकार के आर.एन.टी.सी.पी. कार्यक्रम के मापदण्डों के अनुसार निर्धारित योग्यता/अनुभव।
7	लैब अटेंडेंट	4440-7440+1300	18 वर्ष	बायोलाॅजी, फिजिक्स, केमेस्ट्री विषयों के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण।
8	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	5200-20200+2400	18 वर्ष	1. बायोलाॅजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2. भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का डिग्री/डिप्लोमा 3. म.प्र. फार्मसी काउंसिल से भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का जीवित पंजीयन।
9	प्रोस्थेटिक एण्ड आर्थोटिक टेक्नीशियन	5200-20200+2400	18 वर्ष	1. बायोलाॅजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण 2. प्रोस्थेटिक्स/आर्थोटिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
10	आक्यूपेशनल थेरापिस्ट	5200-20200+2800	18 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आक्यूपेशनल थेरापिस्ट की डिग्री। 2. मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन।
11	टेक्नीकल असिस्टेंट	5200-20200+1900	18 वर्ष	1. बायोलाॅजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
12	टेक्नीशियन असिस्टेंट	5200-20200+1900	18 वर्ष	1. बायोलाॅजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। 3. मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।



DEAN

Government Medical College
Rattlam (M.P.)

13	लैब टेक्नीशियन	5200-20200+2800	18 वर्ष	1 वायोर्लॉजी, कॅम्प्यूट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2 मान्यता प्राप्त संस्था में संचालित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। 3 मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
14	बालीनिकल सायकोलॉजिस्ट	9300-34800+3200	18 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।
15	ओ टी टेक्नीशियन	5200-20200+2800	18 वर्ष	4 वायोर्लॉजी, कॅम्प्यूट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 5 मान्यता प्राप्त संस्था से संचालित विषय में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। 6 मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।


महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ मध्यप्रदेश शासन नियमानुसार लागू होंगे।

सह चिकित्सीकीय संवर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु निर्देश/शर्त:-

- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा व्यय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रूटनी में उपयुक्त पाये जाने पर पैरामेडिकल स्टॉफ की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित परिश्रमिक रूपयें 10,000/- प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात पैरामेडिकल स्टॉफ की परीक्षा ली जावेगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।

3. आरक्षण :-

- पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
- उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2002/अ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1988 के नियम-4(ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अन्तर्गत "4-ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध" में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहारिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, छिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा।
- दिव्यांगजन के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8-4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल दिनांक 17 सितम्बर 2018 अनुसार रहेगा।
- उक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों (केवल महिला) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2012 के अनुसार रहेगा।
- संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार रहेगा।


 DEAN
 Government Medical College
 Rattlam (M.P.)

8. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

4. आवेदन शुल्क:-

अनारक्षित वर्ग हेतु 1000/- (एक हजार रुपये) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर कीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) एवं निशक्तजन उम्मीदवारों के लिये 800/- (आठ सौ रुपये) राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट "मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम" के नाम देय हो प्रस्तुत करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को अपना पूरा नाम, पता तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा।

5. आयु सीमा:-

1. अनारक्षित वर्ग हेतु - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष
/निगम/मण्डल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)
/नि:शक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि हेतु

नोट:- आयु की गणना 01 जनवरी 2021 के आधार पर की जावेगी।

6. सामान्य शर्तें:-

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हों उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर कीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी।
5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
6. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में मान्य होगा।
9. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पत्र नहीं होंगे।


DEAN

Government Medical College
Ratlam (M.P.)

10. वैवाहिक स्थिति – एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
11. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होगी।
12. संविदा अवधि अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य की जावेगी।
13. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किए पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनो स्थितियों एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
14. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, संविदा अधिकारी/कर्मचारियों का आशय है कि वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-
 - 14.1 प्रत्येक विभाग के भर्ती किये जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पर संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के लिये आरक्षित रहेंगे किन्तु इस नीति के अन्तर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त करने उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।
 - 14.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-
 - 14.3 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदन न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्ति रहा हो 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
 - 14.4 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वंछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो।
 - 14.5 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।
 - 14.6 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा वर्ष सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।
 - 14.7 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाए।


 DEAN
 Government Medical College
 Raikam (M.P.)

- 14.8 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- 14.9 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।
- 14.10 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। इसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है। उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7. अनहर्ताएँ :-

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :-


1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये भर्ती में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) किया हो या कराया हो या
 2. कूटचिंत दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
 3. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
 4. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
 5. साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो या
 6. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :-
- अ. महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।
- स. किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- द. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
7. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।


DEAN

Government Medical College
Rattam (M.P.)

8. महत्वपूर्ण टीप :-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की वेबसाईट www.gmcratlam.org का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान दें। इस संबंध में शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।



डॉ. जितेन्द्र गुप्ता

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम,
Ratlam (M.P.)

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

स्क्रूटनी प्रारूप

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. आवेदक का पूरा नाम
2. पद का नाम
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. जन्मतिथि
5. आयु दिनांक 01.01.2021 के अनुसार वर्ष माह दिन
(सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
6. मोबाईल नम्बर
7. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
8. स्थाई निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
9. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग /EWS
विकलांग/भूतपूर्व सैनिक (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी
द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
10. आय का प्रमाण पत्र। (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की
छायाप्रति संलग्न करें)
11. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि
12. संबंधित काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक..... दिनांक
13. रोजगार का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक
14. संविदा संस्था का नाम कुल कार्यकाल

पासपोर्ट साइज
नवीनतम
फोटो

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

///घोषणा-पत्र///

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है।
जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा
सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय
द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी
भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

स्क्रुटनी समिति हेतु चेक लिस्ट :-

1. 10वीं की अंकसूची।
2. 12वीं की अंकसूची।
3. रोजगार का जीवित पंजीयन।
4. संबंधित कोर्स/पद की डिग्री/डिप्लोमा की मूल प्रति। (यदि लागू हो तो)
5. संबंधित परिषद का जीवित पंजीयन
6. प्रशिक्षण/कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
7. संविदा प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
8. जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
9. आय का प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
11. भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
12. निशक्तजन का प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
13. पहचान प्रमाण पत्र

पात्र

अपात्र